Title:

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अति लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

2005 में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट से और उत्तर प्रदेश की विधान सभा से 17 जातियों को, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, इनको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया जो आज तक लंबित है। इसमें केसरवानी वैश समाज है, राजभर है, निषाद् है, प्रजापति है, मल्लाह है, कहार है, कश्यप है, कुम्हार है, धीमर है, बिन्द है, केवट, धीवर, बाथम, मछुआ, मांझी, तुरहा, अगोड़ है और इसके अलावा कोल जाति को भारत के अन्य सभी प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्राप्त है।

लेकिन उत्तर प्रदेश में कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके कारण से इन जातियों की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि समाज में जो पिछड़ी और उपेक्षित जातियां हैं, जिनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करके, इनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाया जा सकता है। केन्द्र सरकार में लम्बित प्रस्ताव को तत्काल अनुसूचित जाति में शामिल करे, ताकि इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और अपने को ये आगे बढ़ा सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन जातियों के जितने भी लोग हैं, वर्तमान में जो सरकार है, उसने इसको खारिज कर दिया है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां से निर्देश जाए, केन्द्र सरकार निर्देशित करे। धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं, केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय में ऐसे लोगों की पुलिस में भर्ती की गई, जो कि अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति में शामिल नहीं थे, उनकी एकतरफा भर्ती की गई थी।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, यह बहुत गम्भीर मामला है, इस पर मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया करके बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦ **